



JALAUN POLICE

दिनांक- 11.03.2026

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल पर्यवेक्षण में कोतवाली कालपी पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तगण को पीली व सफेद धातु के आभूषण व 1294 ग्राम अवैध गांजा एवं 4,200/- रूपये के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 07.03.2026 को चोरी के संबन्ध में वादिया के तहरीर के आधार पर थाना कालपी पर मु0अ0सं0 42/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था।

दिनांक 10.03.2026 को थाना कालपी पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर/वांछित अपराधी एवं सुरागरसी-पतारसी एवं चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बनखण्डी मन्दिर से आगे काशीखेड़ा रोड़ मुहल्ला आलमपुर के पास से 02 वांछित अभियुक्तगण 1. जावेद अख्तर पुत्र रहीश उर्फ नत्थू निवासी ग्राम निबिया खेड़ा थाना सजेती जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 48 वर्ष 2. कल्लू पुत्र निशार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मिठीया मऊ रनिया के पास थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद ओम पीली धातु मय लाल मोती की माला, एक जोड़ी तोडिया सफेद धातु, चार हजार दो सौ रुपये व 1.294 किलोग्राम अवैध गांजा एवं एक अदद मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

अभियुक्तगण से बरामदगी के सम्बन्ध में कोतवाली कालपी पर मु0अ0सं0 48/2026 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. जावेद अख्तर पुत्र रहीश उर्फ नत्थू उम्र करीब 48 वर्ष नि0 ग्राम निबिया खेड़ा थाना सजेती जनपद कानपुर नग
2. कल्लू पुत्र निशार उम्र करीब 20 वर्ष नि0 मिठीया मऊ रनिया के पास थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद ओम पीली धातु मय लाल मोती की माला, एक जोड़ी तोडिया सफेद धातु, नगद
2. 4,200/- रूपये नगद
3. 1.294 किलोग्राम अवैध गांजा (कीमत करीब 30,000/- रूपये)
4. एक अदद मोटरसाईकिल (धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज)

अभि० जावेद अख्तर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु०अ०सं० 160/2025 धारा 317(2)/318(2)/318(4) बीएनएस थाना कोतवाली फतेहपुर जनपद फतेहपुर
- 2.मु०अ०सं० 260/2026 धारा 305a/317(2)/331(4) बीएनएस थाना कोतवाली फतेहपुर जनपद फतेहपुर
- 3.मु०अ०सं० 268/2025 धारा 317(2)/35 बीएनएस थाना थरियांव जनपद फतेहपुर
- 4.मु०अ०सं० 237/2025 धारा 420 बीएनएस थाना कोतवाली हमीरपुर जनपद हमीरपुर
- 5.मु०अ०सं० 772/2022 धारा 3/5/25 ए एक्ट थाना अकबरपुर जिला कानपुर देहात
- 6.मु०अ०सं० 0042/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कालपी जनपद जालौन
- 7.मु०अ०सं० 0048/2026 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कालपी जनपद जालौन

अभि० कल्लू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु०अ०सं० 772/2022 धारा 3/5/25 ए एक्ट थाना अकबरपुर जिला कानपुर देहात
- 2.मु०अ०सं० 0042/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कालपी जनपद जालौन
- 3.मु०अ०सं० 0048/2026 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कालपी जनपद जालौन

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कालपी मय पुलिस टीम ।

-